REVIEW OF RESEARCH
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF) UGC APPROVED JOURNAL NO. 48514 ISSN: 2249-894X
VOLUME - 8 | ISSUE - 4 | JANUARY - 2019

# "मेरठ मण्ड़ल के व्यापारी एवं नौकरी पेशा परिवारों के बच्चों की शिक्षा में सर्व शिक्षा अभियान, मध्यांन्ह भोजन योजना एवं शिक्षा अधिकार कानून के योगदान का तुलनात्मक अध्ययन"

पंकज कुमार[1] , प्रो. बी. सी. दुबे[2]
[1]शोध छात्र (शिक्षाशास्त्र), शिक्षा विभाग, स्वामी विवेकानन्द सुभारती विवि., मेरठ, (उ.प्र.)।
[2]आचार्य एवं संकायाध्यक्ष, शिक्षा विभाग, स्वामी विवेकानन्द सुभारती विवि., मेरठ, (उ.प्र.)।

**संक्षेपः–**

शिक्षा बालक के जन्म के क्षणभर बाद से शुरू हो जाती हैं ओर मृत्यु के क्षणभर पूर्व तक चलती रहती है। इस प्रकार शिक्षा मनुष्य के जीवन भर चलने वाली प्रकिया हैं, विश्व साहित्य में वेद सबसे प्राचीन ग्रन्थ हैं। अक्षण्वन्तः कर्णवन्तः सखायों मनोजवेषु वभूवूः– ऋग्वेद। ऋग्वेद में वर्णन हैं कि आँख, नाक, कान आदि की दृष्टि से तो सभी मनुष्य समान हैं परन्तु जो इनमे से ज्ञान प्राप्त करते हैं वे अन्य से तुलना में श्रेष्ठ हो जाते हैं और इस ज्ञान को मनुष्य शिक्षा के माध्यम से ही प्राप्त कर सकता हैं। इसलिए शिक्षा प्राप्त करने के लिए मनुष्य विभिन्न प्रकार की योजनायें एवं अधिनियम बनाता हैं तथा ऐसी शिक्षा व्यवस्था करता हैं जिससे समाज के प्रत्येक बच्चे को सुविधानुसार एवं आसानी से प्राप्त हो सके जिसे ग्रहण कर बच्चे अपने आप को समाज में स्थापित कर सकें।

**प्रस्तावनाः–**

प्राचीन काल से ही भारत देश को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता रहा हैं क्योंकि भारत देश की भूमि पर बड़े–बड़े राजाओं, ऋषी मूनीयों तथा विद्वान लागों ने जन्म लिया हैं जिसके कारण भारत देश धन एवं शिक्षा दोनो में ही वैभवशाली देशों में शामिल रहा हैं क्योंकि शिक्षा की दृष्टि से समय कोई भी रहा हो लेकिन देश में शिक्षा के प्रति समय–समय पर परिवर्तन होते रहे हैं, चाहे स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व की बात हो या स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद की, देश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर बदलाव होता रहा हैं और यह बदलाव सबसे ज्यादा प्राथमिक शिक्षा में देखने को मिला हैं।

प्राथमिक शिक्षा नियमित शिक्षा का प्रथम सोपान है, जिसमें बालकों के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशलों तथा अभिवृतियों का विकास किया जाता हैं। यह शिक्षा 5–6 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद ही आरम्भ होती हैं और 8 वर्षों अर्थात 14 साल की आयु तक दी जाती हैं। यह शिक्षा नर्सरी तथा माध्यमिक कक्षाओं के बीच की शिक्षा हैं इसलिए प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य शिक्षा का प्रथम स्तर माना जाता हैं।

**के.जी. सैयदेन**– "प्राथमिक शिक्षा का संबन्ध किसी एक जाति या वर्ग से नही अपितु देश की समूची जनता के साथ हैं। यह प्रत्येक बिन्दु पर जीवन को स्पर्श करती हैं और राष्ट्रीय आदर्श एवं चरित्र निर्माण में किसी अन्य क्रिया– सामाजिक, राजनैतिक एवं शैक्षणिक की अपेक्षा अधिक काम कर सकती हैं"

इन्ही सब तथ्यों को आधार मानकर स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात हमारे संविधान निर्माताओं ने प्राथमिक शिक्षा को सर्वोच्च स्थान दिया तथा निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा को रात्य ने एक निति निर्देशक सिद्धान्त घोषित किया कि जब तक बालक 14 वर्ष तक की आयु पूरी नही कर लेता, उन्हे निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जायेगी जिससे वह बालक को ज्ञान, कौशल, आदतें, अभिवृतियाँ तथा मूल्यों की प्राप्ति के योग्य बना सके। जिससे वह–

- एक उत्तरदायी नागरिक की भूमिका अदा कर सकें।
- अन्तः निहित शक्तियों का विकास करके सृजनात्मक योग्यता का विकास करके अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें।
- मानवीय समाज की आधारभूत एकता का ज्ञान प्राप्त कर सकें।
- लोकतांत्रिक दृष्टिकोण का विकास कर सकें।
- मानसिक शक्तियों का विकास कर सकें।
- पढ़ने लिखने में रूचि जागृत कर सकें।
- अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं का ज्ञान प्राप्त कर सकें।

इन सभी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ही भारत सरकार तथा राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से ऐसी योजनायें तथा अधिनियम बनाये तथा चलाये जा रहे हैं जो प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करने में अपना सहयोग दे रहे हैं जिनमें से सर्व शिक्षा अभियान, मध्यांन्ह भोजन योजना एवं शिक्षा अधिकार कानून मुख्य रूप से अपना योगदान दे रहे हैं।

मध्यांन्ह भोजन योजना भारत सरकार की एक ऐसी योजना हैं जिसके अन्तर्गत पूरे देश के प्राथमिक ओर उच्च प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों को दोपहर का भोजन निःशुल्क प्रदान किया जाता हैं। इसका उद्देश्य बालकों के पोषण स्तर को उन्नत करना हैं तथा बच्चों के प्राथमिक स्कूलों के नामांकन में वृद्धि करना ओर इसके साथ साथ बच्चों कि स्कूलों में उपस्थिति में वृद्धि करना हैं। इसकी शुरूआत केन्द्र सरकार द्वारा 15 अगस्त 1995 को प्राथमिक शिक्षा के पोष्टिक आहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम के रुप में हुई जिसे संक्षेप में मध्यांन्ह भोजन योजना के नाम से जाना जाता हैं।

इस योजना के संचालन में केन्द्र और प्रान्तीय सरकारे 75 : 25 के अनुपात में व्यय करती हैं इसके लिए केन्द्र सरकार प्रान्तीय सरकारों को गेहूँ, चावल व अन्य पौष्टिक पदार्थ मुहैया कराती हैं और साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में खाद्य सामग्री रखने के लिए स्टोर रूम बनाने, भोजन पकाने के लिए किचिन शेड़ बनाने और भोजन पकाने के लिए 25 विद्यार्थियों पर एक रसोइये एवं सहायक की नियुक्ति पर आने वाला व्यय वहन करती हैं।

इस योजना के साथ साथ प्राथमिक शिक्षा को सुलभ तथा जन–जन तक पहुँचाने के लिए सन् 2009 में बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 पास किया गया जिसे संक्षेप में शिक्षा का अधिकार अधिनियम कहते हैं। इस अधिअनयम के अनुसार 6–14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का मूल अधिकार हैं, सरकार ने 1 अप्रैल 2010 से इसे कानून के रूप में लागू भी कर दिया हैं।

## इस अधिनियम के मुख्य तत्व निम्नलिखित हैं–

- 6–14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बालक को प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी आस पास के विद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार।
- यदि कोई बच्चा 6 वर्ष की आयु में किसी विद्यालय में प्रवेश नही ले पाता हैं तो वह बाद में अपनी उम्र के अनुरूप कक्षा में प्रवैश ले सकता हैं।
- प्रत्येक अभिभावक का यह दायित्व होगा कि वह 6–14 वर्ष तक के अपने बच्चों को विद्यालय में पढ़ने के लिए भर्ती कराये।
- किसी भी बच्चे को किसी भी कक्षा में रोका नही जाएगा और न ही स्कूल से निष्कासित किया जायेगा।

## अध्ययन कि आवश्यकताः–

स्वतन्त्रता प्राप्ति से बाद से ही देश की सरकारों ने अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा शिक्षा पर व्यय किया और वो भी प्राथमिक शिक्षा पर प्राथमिक शिक्षा को सुलभ व आसान बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनायें बनायी गई जिससे सभी बच्चों को शिक्षा सुविधापूर्वक प्राप्त हो सके चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या

वर्ग से सम्बन्धित हो यहाँ तक की शिक्षा की ऐसी व्यवस्था की गई कि शिक्षा बच्चें के घर तक पहुँचायी गई ओर साथ ही साथ बच्चों के अभिभावकों कों के लिए कानून बनाया गया जाकि अभिभावकों को दायित्व देता हैं कि वह अपने बच्चों जिनकी आयु 6–14 वर्ष हैं उनको विद्यालय में प्रवेश कराएँ। इस कानून के तहत समाज के विभिन्न वर्गों के बच्चों को इस कानून का लाभ प्राप्त हुआ हैं लेकिन अभी तक यह कहना कठिन कार्य था कि किस वर्ग या पेशे से सम्बन्धित परिवारों के बच्चों को सबसे अधिक लाभ हुआ ओर किसको कम लाभ प्राप्त हुआ जाकि एक समस्या का विषय था इसलिए शोद्यकर्त्ता ने इसे अपने शोध प्रपत्र का विषय बनाया।

## अध्ययन के उद्देश्य

- मेरठ मण्ड़ल के व्यापारी एवं नौकरी पेशा परिवारों के बच्चों की शिक्षा में सर्व शिक्षा अभियान, मध्यान्ह भोजन योजना एवं शिक्षा अधिकार कानून के योगदान का तुलनात्मक अध्ययन

## शोध परिकल्पना–

- मेरठ मण्ड़ल के व्यापारी एवं नौकरी पेशा परिवारों के बच्चों की शिक्षा में सर्व शिक्षा अभियान, मध्यान्ह भोजन योजना एवं शिक्षा अधिकार कानून के योगदान का कोई सार्थक अन्तर नही हैं।

## शोध की रुपरेखाः–

- शोधकर्त्ता ने जनसंख्या में न्यादर्श के रुप में मेरठ मण्ड़ल के 05 जिलों (मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, बुलन्दशहर तथा बागपत) को यादृच्छिक विधि से चुना तथा प्रत्येक जिले से 02 तहसीलों तथा प्रत्येक तहसील से 10 प्राथमिक विद्यालयों तथा प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय से 10 बच्चों (05 व्यापारी परिवार तथा 05 नौकरी पेशा परिवार) को यादृच्छिक न्यादर्श विधि से चुना गया।
- आँकड़ों को एकत्रित करने के लिए स्वनिर्मित जाँच सूची का प्रयोग किया गयाा।
- प्रस्तुत शोध अध्ययन में सर्वेक्षण के विश्लेषणात्मक विधि के चरणों का प्रयोग किया जायेगा।
- आँकड़ों के विश्लेषण के लिए सामान्य प्रतिशत तथा काई वर्ग परीक्षण का प्रयोग किया गया।

**प्रभाव का औसत प्रतिशत = प्रभाव प्रतिशत का योग/कथन की कुल संख्या**

## काई–वर्ग सूत्र–

$$x^2 = \sum \left[ \frac{(fo - fe)2}{fe} \right]$$

$x^2$ = काई वर्ग परीक्षण
$\sum$ = योग
$fo$ = प्राप्त या मापित आवृति
$fe$ = प्रत्याशित आवृति

## निष्कर्ष एवं परिणामः—

सारणी न0— 06

मेरठ मण्डल के व्यापारी एवं नौकरी पेशा परिवारों के बच्चों कि शिक्षा मे सर्व शिक्षा अभियान, मध्यान्ह भोजन योजना एवं शिक्षा अधिकार कानून के योगदान का तुलनात्मक अध्ययन

| क0 स0 | कथन | पेशा परिवार वर्ग | प्रभाव का प्रतिशत | | | काई वर्ग का मान | सार्थकता परिणाम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | सर्व शिक्षा अभियान | मध्यांह भोजन योजना | शिक्षा अधिकार कानून | | |
| 1 | विद्यालय सुविधा का प्रभाव | व्यापारी | 40 | 9 | 30 | 2.8 | * सार्थक अन्तर नही हैं |
| | | नौकरी | 36 | 19 | 30 | | |
| 2 | शिक्षण सुविधा का प्रभाव | व्यापारी | 39 | 11 | 30 | 0.64 | * सार्थक अन्तर नही हैं |
| | | नौकरी | 41 | 15 | 30 | | |
| 3 | अध्ययन सुविधा का प्रभाव | व्यापारी | 35 | 15 | 25 | 1.63 | * सार्थक अन्तर नही हैं |
| | | नौकरी | 42 | 25 | 25 | | |
| 4 | सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं का प्रभाव | व्यापारी | 38 | 19 | 36 | 1.95 | * सार्थक अन्तर नही हैं |
| | | नौकरी | 39 | 20 | 24 | | |
| 5 | विद्यालय द्वारा बच्चों को उपलब्ध सामग्री का प्रभाव | व्यापारी | 41 | 20 | 22 | 1.48 | * सार्थक अन्तर नही हैं |
| | | नौकरी | 42 | 13 | 25 | | |
| 6 | विद्यालय द्वारा बच्चों को दी गई सुविधा का प्रभाव | व्यापारी | 32 | 8 | 41 | 6.88 | * सार्थक अन्तर नही हैं |
| | | नौकरी | 40 | 17 | 25 | | |
| 7 | विद्यालय द्वारा बच्चों को कि गई व्यवस्था का प्रभाव | व्यापारी | 37 | 19 | 31 | 0 | * सार्थक अन्तर नही हैं |
| | | नौकरी | 40 | 21 | 34 | | |
| 8 | विद्यालय में बच्चों को मिलने वाली सुविधा का प्रभाव | व्यापारी | 42 | 18 | 21 | 2 | * सार्थक अन्तर नही हैं |
| | | नौकरी | 39 | 20 | 32 | | |
| 9 | विद्यालय में बच्चों को मिलने वाली विशेष सुविधा का प्रभाव | व्यापारी | 43 | 20 | 20 | 4.1 | * सार्थक अन्तर नही हैं |
| | | नौकरी | 35 | 18 | 33 | | |
| 10 | विद्यालय में विशेष सुविधा का प्रभाव | व्यापारी | 40 | 18 | 34 | 47.04 | ** सार्थक अन्तर हैं |
| | | नौकरी | 39 | 10 | 36 | | |
| 11 | विद्यालय में बच्चों को उचित व्यवस्था का प्रभाव | व्यापारी | 36 | 22 | 24 | 2.4 | * सार्थक अन्तर नही हैं |
| | | नौकरी | 38 | 13 | 24 | | |
| 12 | विद्यालय में पढने कि सुविधा का प्रभाव | व्यापारी | 41 | 19 | 25 | 3.73 | * सार्थक अन्तर नही हैं |
| | | नौकरी | 39 | 15 | 40 | | |
| 13 | विद्यालय द्वारा उपलब्ध सुविधा का प्रभाव | व्यापारी | 42 | 15 | 25 | 0.83 | * सार्थक अन्तर नही हैं |
| | | नौकरी | 40 | 20 | 32 | | |
| 14 | सरकारी योजनाओं का प्रभाव | व्यापारी | 39 | 25 | 21 | 0.43 | * सार्थक अन्तर |
| | | नौकरी | 39 | 21 | 23 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | नही हैं |
| **15** | **विद्यालय से मिलने वाली सुविधा का प्रभाव** | व्यापारी | 40 | 20 | 23 | 8.38 | * सार्थक अन्तर हैं |
| | | नौकरी | 41 | 8 | 38 | | |
| **16** | **विद्यालय से प्राप्त अतिरिक्त सुविधाओं का प्रभाव** | व्यापारी | 39 | 13 | 38 | 1.44 | * सार्थक अन्तर नही हैं |
| | | नौकरी | 32 | 18 | 33 | | |
| **17** | **विद्यालय द्वारा बच्चों को दी जाने वाली सुविधाओं का प्रभाव** | व्यापारी | 41 | 17 | 33 | 1.67 | * सार्थक अन्तर नही हैं |
| | | नौकरी | 37 | 20 | 23 | | |
| **18** | **सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का प्रभाव** | व्यापारी | 44 | 21 | 22 | 0.58 | * सार्थक अन्तर नही हैं |
| | | नौकरी | 42 | 15 | 23 | | |
| **19** | **विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं का प्रभाव** | व्यापारी | 35 | 20 | 23 | 0.96 | * सार्थक अन्तर नही हैं |
| | | नौकरी | 40 | 18 | 19 | | |
| **20** | **बच्चों को विद्यालय से मिलने वाली सुविधाओं का प्रभाव** | व्यापारी | 45 | 18 | 19 | 4.45 | * सार्थक अन्तर नही हैं |
| | | नौकरी | 45 | 15 | 36 | | |
| **योग** | | **व्यापारी** | **39.45** | **17.35** | **27.15** | **0.06** | *** सार्थक अन्तर नही हैं** |
| | | **नौकरी** | **39.3** | **17.05** | **29.25** | | |

**स्वतंत्रता अंश – (C-1)(R-1) = 3**
**सार्थकता स्तर – *.05, **.01**
**सारणी मान - *7.815, **11.341**

## निष्कर्ष :–

उपरोक्त सारणी के माध्यम से उद्देश्य न0. 01 एवं परिकल्पना न0. 01 कि विवेचना कि गई है जिसमे अध्ययनकर्त्ता ने मेरठ मण्डल के व्यापारी एवं नौकरी पेशा परिवार के बच्चों कि शिक्षा में सर्व शिक्षा अभियान, मध्यांह भोजन योजना एवं शिक्षा अधिकार कानून के योगदान का तुलनात्मक विश्लेषण कर अन्तर कि सार्थकता ज्ञात की है। जिसमें 20 कथनों पर व्यापारी एवं नौकरी पेशा परिवार के बच्चों पर सर्व शिक्षा अभियान, मध्यांह भोजन योजना एवं शिक्षा अधिकार कानून का प्रभाव देखा गया और अन्तर कि सार्थकता ज्ञात कि गई। जिसमें विद्यालय में विशेष सुविधा तथा विधालय से मिलने वाली विशेष सुविधा के मध्य व्यापारी एवं नौकरी पेशा परिवार के सर्व शिक्षा अभियान, मध्यांह भोजन योजना एवं शिक्षा अधिकार कानून के प्रतिशत प्राप्तांकों का काई वर्ग कि गणना कि गई जिसका मान 47.04 तथा 8.38 प्राप्त हुआ जो स्वतंत्रता अंश 03 सार्थकता स्तर .05 एवं .01 के सारणी मान 7.81 एवं 11.34 से ज्यादा प्राप्त हुआ जिससे स्पष्ट है कि व्यापारी एवं नौकरी पेशा परिवारों के बच्चों कि शिक्षा में सर्व शिक्षा अभियान, मध्यांन्ह भोजन योजना एवं शिक्षा अधिकार कानून के प्रभाव में सार्थक अन्तर हैं। तथा अन्य कथन न0. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,16,17,18,19 एवं 20 पर व्यापारी एवं नौकरी पेशा परिवार के बच्चों कि शिक्षा पर सर्व शिक्षा अभियान, मध्यांह भोजन योजना एवं शिक्षा अधिकार कानून के प्रभाव में कोई सार्थक अन्तर नही हैं। जिससे स्पष्ट होता है कि सर्व शिक्षा अभियान, मध्यांह भोजन योजना एवं शिक्षा अधिकार कानून का व्यापारी एवं नौकरी पेशा परिवार के बच्चों पर समान प्रभाव पडता है। जिसमें व्यापारी अभिभावकों ने सर्व शिक्षा अभियान के योगदान को 39.45%, मध्यांह भोजन योजना के योगदान को 17.35% और शिक्षा अधिकार कानून के योगदान को 27.15% अभिभावकों ने स्वीकार किया है। इसी प्रकार नौकरी पेशा अभिभावकों ने सर्व शिक्षा अभियान के योगदान को 39.3%, मध्यांह भोजन योजना के योगदान को 17.05% और शिक्षा अधिकार कानून के योगदान को 29.25% अभिभावकों ने स्वीकार किया है। जिससे स्पष्ट हो रहा है कि शिक्षा अधिकार कानून को छोडकर लगभग सभी अन्तर समान दृष्टिगोचर हो रहे हैं इसलिए परिकल्पना न0. 01

को स्वीकार करते हुए अध्ययनकर्त्ता इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि विद्यालय में विशेष सुविधा के प्रभाव का व्यापारी एवं नौकरी पेशा परिवार के बच्चों कि शिक्षा में सर्व शिक्षा अभियान, मध्यांह भोजन योजना एवं शिक्षा अधिकार कानून के योगदान के प्रतिशत में सार्थक अन्तर पाया गया जिसमें सर्व शिक्षा अभियान के योगदान को व्यापारी परिवार, मध्यांह भोजन योजना के योगदान को व्यापारी परिवार एवं शिक्षा अधिकार कानून के यागदान को नौकरी पेशा परिवारों ने प्राथमिकता दी हैं। जिससे स्पष्ट है कि व्यापारी एवं नौकरी पेशा परिवार के बच्चों कि शिक्षा में विद्यालय सुविधा, शिक्षण सुविधा, अध्ययन सुविधा, सरकार द्वारा चलायी जा रही योजना, विद्यालय द्वारा बच्चों को उपलब्ध सामग्री, विद्यालय द्वारा बच्चों को दी गई सुविधा, विद्यालय द्वारा बच्चों को की गई व्यवस्था, विद्यालय से मिलने वाली विशेष सुविधा, विद्यालय में पढने कि सुविधा, विद्यालय द्वारा उपलब्ध सुविधा एवं विद्यालय से प्राप्त अतिरिक्त सुविधा के प्रभाव में कोई सार्थक अन्तर नही हैं।

## अध्ययन के परिणामः–

- व्यापारी एवं नौकरी पेशा परिवार के बच्चों कि शिक्षा में सर्व शिक्षा अभियान, मध्यांह भोजन योजना एवं शिक्षा अधिकार कानून के योगदान के प्रतिशत में सार्थक अन्तर नही पाया गया जिसमें सर्व शिक्षा अभियान के योगदान को व्यापारी परिवार, मध्यांह भोजन योजना के योगदान को व्यापारी परिवार एवं शिक्षा अधिकार कानून के यागदान को नौकरी पेशा परिवारों ने प्राथमिकता दी हैं।

## सन्दर्भ ग्रन्थ सूची


- **पाठक पी.डी.**, (2007–08) भारतीय शिक्षा और समस्याएँ, अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आगरा – 7 ।
- **चौबे सरयू प्रसाद**, (2007–08), तुलनात्मक शिक्षा अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा – 7
- **रूहेला एम.पी.**, (2007–08), विकासोन्मुख भारतीय समाज में शिक्षक और शिक्षा अग्रवाल पब्लिकेषन, आगरा–7 ।
- **ओड के लक्ष्मीलाल**, (2008), शिक्षा की दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय पृष्ठभूमि राजस्थानी हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर ।


## Website:-


- sarva shiksha Abhiyan Program.(2011, june 25). http://www. ssa.nic.in
- Midday Meal Scheme. (2010, jan 18). http://www. mdm.nic.in
- Right of Children to Free and Compulsory Education. (2009). http://www.mhrd.gov.in/rte
- Right of Children to Free and Compulsory Education. (2009). http://www.ssa.nic.in/quality-of-education right-of-children-to-free-and-compulsory-education-act-2009

**पंकज कुमार**
**शोध छात्र (शिक्षाशास्त्र), शिक्षा विभाग, स्वामी विवेकानन्द सुभारती विवि., मेरठ, (उ.प्र.)।**

LBP PUBLICATION